

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,

इन्दौर


क./पाठ्य/अधि./2018/2105

दिनांक- 6 OCT 2018

संशोधित - अधिसूचना

एतद द्वारा सर्व सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 12/9/2018 को सम्पन्न स्थाई समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में जारी अधिसूचना क. शैक्षणिक / पाठ्य/अधि./2018/1747 दिनांक 23 अगस्त 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए अध्यादेश क्रमांक 17 की कंडिका 2 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित बी.सी.ए. का अध्यादेश क्रमांक 45 विद्यमान होने के कारण बी.सी.ए. पाठ्यक्रम को सत्र 2018-2019 से पूर्वानुसार सेमेस्टर पद्धति से ही संचालित किया जायगा। बी.सी.ए. का पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति का ही लागू रहेगा, जो विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर उपलब्ध है।

आदेशानुसार




कुलसचिव

क./पाठ्य/अधि./2018/2105

इन्दौर, दिनांक 6 OCT 2018

प्रतिलिपी:-

1. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बन्धित दे.अ.वि.वि. से सम्बद्ध महाविद्यालय, इन्दौर।
2. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर इस निवेदन के साथ कि वे इस अधिसूचना को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
5. सम्बन्धित सहायक संकाय (परीक्षा/गोपनीय)
6. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद दे.अ.वि.वि. इन्दौर।
7. डीन, छात्र कल्याण दे.अ.वि.वि. इन्दौर।



सहा.कुलसचिव (शैक्ष.)